


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज लक्ष्मीनारायण सिंह बनाम लोक सूचना अधि० (जिला रसद अधिकारी धौलपुर) प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (मु०संख्या 32/2022) (जीसीएमएस न० 2022/54)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये</p>
<p>15.09.2022</p>	<p>अपीलान्त अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्त ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांक: रसद/सू.अ./2022/5307 दिनांक 14.09.2022 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना, अपीलार्थी श्री लक्ष्मीनारायण सिंह को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक रसद/सू.अ./2022/5306 दिनांक 14.09.2022 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डांक से भिजवाई जा चुकी है जिसके पत्र की प्रति पेश की है।</p> <p>अतः इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्त द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलान्त को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक रसद/सू.अ./2022/5306 दिनांक 14.09.2022 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डांक से भिजवाई जा चुकी है। पत्र की प्रति संलग्न कर पेश की है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्त इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्त को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">  (अनिल कुमार अग्रवाल) जिला कलक्टर धौलपुर </p>	